



सां/No. : 5-1(302)/2015-PD

दिनांक/Dated: 05.07.2022

**प्रेषक :** संयुक्त सचिव (प्रशासन)

**From :** Joint Secretary (Admn.)

**सेवा में :** सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान

**To :** The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

**विषय :** उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप द्वीपसमूह तथा लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों में/से स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता - केन्द्र सरकार के कर्मचारियों - के संबंध में।

**Sub :** **Travelling Allowance on transfer to/from North-Eastern Region, Union Territories of Andaman & Nicobar, Lakshadweep Islands and Ladakh – in respect of the Central Government employees – reg.**

**महोदया/Madam / महोदय/Sir,**

मुझे, उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 16.06.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं 19030/1/2017- ई.IV को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

I am directed to forward herewith the Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure Office Memorandum No. 19030/1/2017-E.IV dated 16.06.2022 on the above mentioned subject for your information, guidance and compliance.

भवदीय/Yours faithfully,

Digitally signed by ARUN  
MANIKANDA BHARATHI M

अवर सचिव (नीति) / Under Secretary (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

- 1) प्रमुख, आई.टी. प्रभाग - इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सी.एस.आई.आर. वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर उपलब्ध कराएं।  
Head, IT Division - with a request to make this circular letter available on the CSIR Website & Policy Repository.
- 2) कार्यालय प्रति/Office copy.

सं. 19030/1/2017-ई.IV

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
व्यय विभाग  
\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक: 16 जून, 2022

कार्यालय ज्ञापन

**विषय:** उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप द्वीपसमूह तथा लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों में/से स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता – केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर यात्रा भत्ता से संबंधित इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के का.ज्ञा. सं. 19030/1/2017-ई.IV के पैरा 3(iii) का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें यह उल्लिखित है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, अण्डमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप तथा लद्दाख में स्थानान्तरण के संबंध में रसीद/वाउचर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2. इस विभाग में स्पष्टीकरण हेतु कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि यदि अधिकारी का स्थानान्तरण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से भारत के किसी अन्य भाग में अथवा इसके विपरीत हुआ हो तथा सरकारी कर्मचारी का परिवार साथ नहीं गया हो तो इस स्थिति में निजी सामान के परिवहन की पात्रता की 1/3 राशि के दावे के लिए रसीद/वाउचर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. इस विभाग में इस मामले पर विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप द्वीपसमूह तथा लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों में अथवा इसके विपरीत स्थानान्तरण पर, रसीद/वाउचर प्रस्तुत करने संबंधी शर्तें निम्नानुसार होंगी:

(क) यदि सरकारी कर्मचारी का परिवार इन क्षेत्रों में/से स्थानान्तरण की स्थिति में साथ नहीं जाता है तो कर्मचारी अपनी पात्रता के 1/3 भाग तक निजी सामान का परिवहन करने का पात्र है तथा निजी सामान के परिवहन के लिए उसकी पात्रता के 1/3 भाग का दावा करने के लिए रसीद/वाउचर का प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

(ख) यदि सरकारी कर्मचारी का परिवार इन क्षेत्रों से/में स्थानान्तरण पर साथ जाता है, तो कर्मचारी निजी सामान के परिवहन के स्वीकार्य लागत का पात्र है तथा निजी सामान के परिवहन के लिए उसकी पात्रता के अनुसार स्वीकार्य राशि का दावा करने के लिए रसीद/वाउचर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4. यह आदेश, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। पूर्व मामले, जिनका पहले ही निस्तारण किया जा चुका है, फिर से नहीं खोले जाएंगे।

5. इसे वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

  
(निर्मला देव)  
निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग को मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय और संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।

No. 19030/1/2017-E.IV  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Expenditure  
\*\*\*

North Block, New Delhi  
Dated 16<sup>th</sup> June, 2022

OFFICE MEMORANDUM

**Subject: Travelling Allowance on transfer to/from North-Eastern Region, Union Territories of Andaman & Nicobar, Lakshadweep Islands and Ladakh - in respect of the Central Government employees.**

The undersigned is directed to refer to Para 3 (iii) of this Department's OM No. 19030/1/2017-E.IV dated 13.07.2017 regarding Travelling Allowance on implementation of recommendations of 7<sup>th</sup> CPC, wherein it had been mentioned that production of receipt/vouchers is mandatory in r/o transfer to North-East Region, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep and Ladakh.

2. Several references have been received in this Department seeking clarification that in case the officer is transferred from North East Region to other part of India or vice-versa and the family of the Government employee does not accompany him whether production of receipt/vouchers is mandatory to claim 1/3<sup>rd</sup> amount of entitlement of transportation of personal effects..

3. The matter has been considered in this Department. It has been decided that on transfer to North East Region, Union Territories of Andaman & Nicobar, Lakshadweep Islands and Ladakh or vice-versa, the condition regarding production of receipt/voucher will be as under:

(a) If the family of the Government employee does not accompany him on transfer to /from these areas, the employee is entitled to carry personal effects upto 1/3<sup>rd</sup> of his entitlement and production of receipt/voucher is **not mandatory** to claim 1/3<sup>rd</sup> of his entitlement for transportation of personal effects.

(b) If the family of the Government employee accompanies him on transfer to/from these areas, the employee is entitled to the admissible cost of transportation of personal effects and production of receipt/voucher is **mandatory** to claim admissible amount as per his entitlement for transportation of personal effects.

4. This order shall be effective from date of issuance of this OM. Past cases already settled shall not be re-opened.

5. This is issued with the approval of Finance Secretary & Secretary (Expenditure).

  
(Nirmala Dev)  
Director

To,

All Ministries and Departments of the Govt. of India etc. as per standard distribution list.

Copy to : C&AG and U.P.S.C. etc. as per standard endorsement list.